कार्यालय– जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर (मध्यप्रदेश)

e-mail- dcourtsag-mp@nic.in contact no. 07582-263701

–:: निविदा ::–

क्रमांकः––––– / दो–12–14 / 65 सागर, दिनांक / 08 / 2020

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि, जिला न्यायालय परिसर सागर में दिनांक 01.10.2020 से 30.09.2021 के लिये वाहन स्टैंड की निविदायें अंतिम तिथि दिनांक 11.09.2020 को सायंकाल 5:00 बजे तक विभागीय वेबसाईट पर निर्धारित शर्तो के अधीन संलग्न निविदा फार्म पर सीलबंद लिफाफे में रजिस्टर्ड डाक / हमदस्त के माध्यम से आमंत्रित की जाती हैं :–

(1) वाहनों को स्टैंड पर रखने की दरें :–

(ए) साईकिल –रूपये 2 / –प्रतिदिन अथवा रूपये 40 / –प्रतिमाह

(बी) मोटर साईकिल / स्कूटर / मोपेड टू–व्हीलर –रूपये 5 / –प्रतिदिन अथवा रूपये 100 / –प्रतिमाह

(सी) चार पहिया वाहन – रूपये 10 / –प्रतिदिन अथवा रूपये 200 / –प्रतिमाह

(डी) न्यायिक अधिकारियों / तृतीय–चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों तथा अभिभाषक संघ सदस्यों को अपने वाहन रखने हेतु न्यायालय परिसर में स्थान निर्धारित है। उन्हें अपने वाहन निर्धारित स्थान पर रखने की निःशुल्क पात्रता होगी।

(ई) श्री चतुर्भुज सिंह राजपूत, एडव्होकेट के आफिस के सामने से लेकर न्यायालय परिसर के चारों ओर तक का क्षेत्र आम जनता के वाहनों को रखने हेतु निर्धारित होगा। उक्त निर्धारित स्थान पर आम जनता के वाहनों को रखने के लिये निर्धारित शुल्क वसूल करने का अधिकार अनुबंध ग्रहीता को होगा।

(2) लोक कल्याण हेतु ठंडे पानी के मटके / प्याऊ स्टैंड के समीप स्थापित करनी होगी।

(3) वाहन सुरक्षा में चूक होने पर ग्राहक को वाहन की कीमत भुगतान की जिम्मेदारी अनुबंध ग्रहीता की होगी।

(4) अर्नेस्ट मनी रूपये 25,000 / –(अंकन पच्चीस हजार रूपये मात्र) की चार गुना राशि 1,00,000 / – (अंकन एक लाख रूपये मात्र) वार्षिक न्यूनतम शासकीय अनुबंध दर से उच्चतम अनुबंध दर की निविदायें विचारणीय होगी।

(5) निविदादाता को निविदा फार्म के साथ राशि 25,000 / –(अंकन पच्चीस हजार रुपये मात्र) की अर्नेस्ट मनी जिला नाजिर, नजारत अनुभाग सागर में एम.पी.टी.सी.–6 की रसीद में जमा कर रसीद की छायाप्रति निविदा फार्म के साथ संलग्न करने पर ही ई–निविदा अंतिम रूप से स्वीकार की जाकर एक वर्ष हेतु वाहन स्टेंड संचालनार्थ मान्यता दिये जाने पर अनुबंध की शेष राशि तीन दिन में जमा करने पर वाहन स्टेंड संचालन की अनुमति दी जावेगी। अर्नेस्ट मनी / अमानत राशि जिला नाजिर एम.पी.टी.सी.–6 की रसीद में प्राप्त कर आगामी आदेश पर्यन्त सुरक्षित रखेगें।

(6) विभागीय समिति की सिफारिस पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के अनुमोदन पर सूचित करने के पश्चात अधिकतम अधिमान्य निविदा की स्वीकृति मान्य होने पर शेष अनुबंध की राशि निर्धारित समयावधि तीन दिवस में अदा न करने पर अर्नेस्ट मनी शासन हित में राजसात कर वित्तीय अधिकतम दर से संबंधित निविदादाता को वार्षिक अनुबंध हेतु आमंत्रित किया जावेगा।

(7) स्वीकृत निविदा के अतिरिक्त शेष निविदादार अपनी–अपनी अमानत राशि नियमानुसार 15 दिवस के अंदर प्राप्त करने के हकदार होगें।

(8) उक्त ई–निविदा में विवाद के अंतिम निर्णायक जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर होगे।

क्रमशः..2..

(9) शासकीय कारणों से उक्त ई–निविदा किसी भी समय किसी भी प्रकम पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर के आदेश से निरस्त की जा सकेगी।
(10) वार्षिक अनुबंध में चूक होने पर निविदा की राशि राजसात की जाकर वर्ष में किसी भी समय पुनः अनुबंध प्रकिया प्रारंभ की जा सकेगी।
(11) किसी प्रकार का विवाद होने की स्थिति में माननीय उच्च न्यायालय म0प्र0 जबलपुर द्वारा जिले के लिये बनाई गई शिकायत निवारण समिति जिसमें जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में अन्य सदस्य होगें के द्वारा किया जायेगा।
संलग्न :– निविदा फार्म ।

वास्ते–जिला एवं सत्र न्यायाधीश
सागर (म0प्र0)

–: <u>निविदा फार्म</u> :–

<u>OPEN TENDER PROFORMA FOR CYCLE STAND</u>

1- Rate Quotation of the Tenderer -------------------------------

2- Earnest Money Rupees. 25,000/- Will be deposited befor approval of tender by Head of Department Office.

3- M.P.T.C.-6 Receipt No.-------------------------------- Enclose copy.

4- Pan No.------------------------------Enclose copy of current income Tax return.

5- GST No.---------------------------- Enclose copy of live registration.

The terms & conditions of the tender are Acceptable to me/us.

Signature ----------------

Name & Address with Seal & date------------------

Phone No. ----------------------------------

Mobile No.---------------------------------

Fax --

E-mail--------------------------------------